

**वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2017

सं. 17/2017—संघ राज्य क्षेत्र कर

सा.का.नि. 1328(अ).—केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन जारी अधिसूचनाएं स्वतः ही उक्त अधिनियम के प्रति विस्तारित होंगी।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 31011/25/2017-एसटी-I-डीओआर]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2017

No. 17/2017-Union Territory Tax

G.S.R. 1328(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (3) of Section 22 read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 14 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notify that subject to provisions of the said Act and the rules made thereunder, the notifications issued under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 12 of 2017) relating to the subjects referred in Section 21 of the said Act are automatically extended to the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 31011/25/2017-ST-I-DoR]

S. R. MEENA, Under Secy.